

## The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Tuesday, 01 April, 2025

## **Edition: International Table of Contents**

	idelication in delication in d
Page 01 Syllabus: GS 1 & 3: Geography	गर्मियां गर्म रहने वाली हैं, लेकिन आने वाले मानसून में अल नीनो की संभावना नहीं : आईएमडी
and Enviroment	
Page 08	कक्षा में एनईपी 2020, नीति से लेकर व्यवहार तक
Syllabus : GS 2: Social Justice	
Page 09	जनसंख्या गणना से परे सोचना
Syllabus : GS 2: Indian polity	
Page 11	आर्कटिक में तनाव क्यों अधिक है?
Syllabus: GS 2: International	
Relations	
Places In News	ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य
Page 08 : Editorial Analysis:	IJS एक विचार है जिसका समय आ गया है
Syllabus : GS 2 : Indian Polity	





## Page 01: GS 1 & 3: Geography & Enviroment

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान एल नीनो (El Niño) के आने की संभावना को खारिज किया है, और कहा है कि इस दौरान तटस्थ परिस्थितियाँ (neutral conditions) बनी रहने की संभावना है।

• हालांकि, भारत के अधिकांश भागों में गर्मियों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 10 हीटवेव (लू) वाले दिन हो सकते हैं।

# Summer set to be warmer, but El Nino unlikely during coming monsoon: IMD

#### Jacob Koshy

NEW DELHI

The India Meteorological Department (IMD) has "ruled out" the possibility of an El Nino in the coming southwest monsoon season this year.

An El Nino, characterised by a warming of the central equatorial Pacific Ocean, is frequently associated with reduced monsoon rainfall in India.

"Based on the climate forecasts, including international ones, we can rule out El Nino for the monsoon. We will most likely see neutral El Nino conditions," M. Mohapatra, Director-General, IMD, said in a briefing on Monday.

In 2023, which was an El Nino year, the monsoon season saw a 6% deficit.



**Climate forecast:** IMD Director-General M. Mohapatra says there will most likely be neutral El Nino conditions. THULASI KAKKAT

Last year witnessed an 8% surplus as "neutral conditions" prevailed.

An El Nino implies a temperature rise between 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius in the Central Pacific. "Neutral" suggests no such rise.

However there have been instances when neutral conditions have led to below-normal rain in India. The IMD gives its first forecast on monsoon rainfall in April.

#### 'Wait for April forecast'

"We will have to wait for the April forecast to get a sense of the monsoon rainfall this year," said Mr. Mohapatra.

Before the monsoon kicks in, however, India will be reeling under "above normal" temperatures during the summer months.

From April to June, India on average reports four to seven heatwave days, defined as temperatures exceeding 45 degrees Celsius or greater-than-five-degrees rise from what's normal in a region.

"Parts of eastern India could potentially see 10 heatwave days this year," said Mr. Mohapatra.

In March, several parts of central and southern India reported "above-normal" temperatures and one of the potential reasons was changes in climate due to "global warming", said Mr. Mohapatra.

#### प्रमुख बिंदु:

- एल नीनो और मानसून की गतिशीलता:
  - एल नीनो से आशय मध्य भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर (Central Equatorial Pacific Ocean) के तापमान में वृद्धि से है, जिसका भारत में मानसूनी वर्षा को कमजोर करने वाला प्रभाव होता है।



- वर्ष 2023, जो एक एल नीनो वर्ष था, भारत में मानसूनी वर्षा में 6% की कमी दर्ज की गई।
- हालांकि, तटस्थ परिस्थितियाँ (neutral conditions), जिनमें तापमान में कोई विशेष वृद्धि या गिरावट नहीं होती, मानसूनी वर्षा के सामान्य रहने की गारंटी नहीं देती हैं, पूर्व में ऐसी स्थितियों में भी औसत से कम मानसून देखा गया है।
- बढ़ता तापमान और हीटवेव:
  - मार्च 2025 में ही मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया है।
  - IMD ने अप्रैल से जून के बीच अधिक गर्मी का अनुमान लगाया है, जिसमें खासतौर पर पूर्वी भारत में अधिक तीव्रता के साथ हीटवेव (लू) की संभावना जताई गई है।
  - हीटवेव (लू) की स्थिति तब बनती है जब किसी क्षेत्र का तापमान 45°C से अधिक हो या उस क्षेत्र के सामान्य तापमान से 5°C अधिक हो।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:
  - बढ़ती हीटवेव (लू) की तीव्रता और आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकृत हैं।
  - IMD मार्च महीने में सामान्य से अधिक तापमान को वैश्विक तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) के व्यापक प्रभावों से जोड़कर देखता है।

#### नीतिगत तैयारी और सावधानियाँ:

- इस खबर से कृषि, जल प्रबंधन, शहरी संरचनाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु-लचीली (climate-resilient) योजना निर्माण की आवश्यकता उजागर होती है।
- राज्यों को, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हीट एक्शन प्लान (Heat Action Plans) बनाना और उन्हें समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।
- आपदा तैयारी और संसाधनों के आवंटन के लिए सटीक जलवायु पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है।

#### निष्कर्षः

 यद्यपि एल नीनो का न होना एक सकारात्मक संकेत है, फिर भी तापमान वृद्धि के अनुमान से स्पष्ट है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने लचीलेपन (Climate Resilience) को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। बदलती जलवायु के दौर में सक्रिय प्रशासन, आँकड़ों पर आधारित पूर्वानुमान, और सामुदायिक स्तर पर अनुकूलन की रणनीतियाँ ही आगे बढ़ने का रास्ता हैं।.

UPSC मख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Ques : "भारतीय मानसून पर एल नीनो (El Niño) तथा ला नीना (La Niña) के प्रभावों की चर्चा करें। तटस्थ ENSO परिस्थितियाँ भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता (rainfall variability) को किस प्रकार प्रभावित करती हैं?





#### Page 08: GS 2: Social Justice: Education

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने **मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy - FLN)** को एक अत्यंत आवश्यक एवं गैर-समझौता योग्य राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया है।

- इसी उद्देश्य से निपुण भारत मिशन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 तक पहुँचते-पहुँचते बुनियादी पढ़ने और गणना की क्षमता हासिल कर ले।
- हाल ही में ASER 2024 के सर्वेक्षण एवं अन्य फील्ड अध्ययनों से पता चलता है कि जमीनी स्तर पर यह महत्वाकांक्षी नीति किस प्रकार आगे बढ़ रही है।

## NEP 2020 in the classroom, from policy to practice

he National Education Policy (NEP) 2020 frames the universal acquisition of Foundational Literacy and Numeracy (FLN) as an urgent national mission. Since the release of the policy, the central and State governments have put in enormous efforts into programmes intended to meet the goal of ensuring that every child acquires FLN by Class two, the end of the newly designated 'foundational stage' of education for three to eight year olds.

Findings from the nationwide Annual Status of Education Report (ASER) 2024 survey that was released recently provide some indicators of the percolation of these policy pushes to individual schools. For example, more than 80% of the 15,728 rural schools across the country that were visited as a part of the survey reported having received a directive from the government to implement FLN activities for Classes one to three. In over 75% of these schools, at least one teacher had received in-person training on FLN.

#### There is an awareness

A deep dive into 24 Class two classrooms in eight States earlier this year provided glimpses of how these changes are translating into practice on the ground. The first conclusion that was clear from observations of the teaching practice of these teachers, and subsequent conversations with them, is that the rationale for why FLN is important appears to have been communicated clearly and on scale.

In the eight States and in most of the schools that the writers of this article visited, teachers articulated this new focus and, for the most part, approved of it. Aspects of the new approach that required attitudinal shifts rather than new pedagogical practices were visible in their classrooms.

However, the challenges and opportunities

#### Suman Bhattacharjea

is the Director of Research at the ASER Centre

#### Shweta Bhutada

is the Senior Project Lead at the ASER Centre

#### Akanksha Bisht

is a Content and Research Associate at the ASER Centre

Observations from 24 classrooms in eight States across India point to some change facing teachers vary substantially, depending on the local context. For example, a classroom that comprises a large number of Class two students with limited space to move about requires a different approach than one with students from several different grades sitting outdoors. Several teachers said that they have limited opportunities to identify and discuss these challenges during training workshops. Creating spaces for practice, discussion and adaptation may be the key to increasing uptake.

#### Support for teachers

Consequently, post-training support systems to teachers are of vital importance. Here, States differ markedly in the amount and the type of support that they provide. In some States, the teachers we spoke to were unable to name any form of support available to them post training. In others, trainers were available to be consulted if teachers wished to do so. In still others, regular "monitoring" visits from officials ensured that the focus on FLN was not lost, but the focus was on compliance with data collection protocols rather than teaching-learning in the classroom. In just a couple of cases, teachers spoke about block- or district-level officials actually demonstrating how to do a particular activity in the classroom.

Without the space to practise and then adapt the new methods and materials as needed, teachers are often unable to make full use of the guidelines and materials provided to them. For example, even though the focus on using teaching-learning materials (TLM) in the classroom was clear to all the teachers, in every case where some form of TLM was observed, it was evident in 'demonstration' mode – meaning that in all but one case it was the teacher using the TLM, and not the students. Getting TLM into students' hands requires more thought and flexibility, very often about practical, rather than

pedagogical, questions. For example, in States where teachers are given funds to make their own TLM rather than provided with ready-to-use kits, teachers were worried about the material getting damaged (torn or broken) as they would have to remake them. Others had no space to store TLM in the classroom, while the rest who had been provided with TLM kits were unclear about how and when to use them.

#### Issue of syllabus completion

Perhaps, most crucially, decisions on what and how to teach are still based primarily on syllabus completion. At the State level, continuous and comprehensive evaluation (CCE) often takes the form of formative and summative assessments of curriculum content, conducted in traditional pen-and-paper format. Although teachers in several States talked about monthly FLN-specific assessments, almost none spoke about using FLN assessment results to inform their classroom practice. Resolving the inherent contradiction between ensuring universal FLN and syllabus completion is a question that the system has yet to reckon with in a systematic way.

There is little doubt that some things have changed for the better since the rollout of National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN) Bharat the mission that lays out detailed guidelines on how FLN goals should be met on the ground and adaptations across the country. The clear focus on FLN and its resultant visibility in schools and among teachers, is in itself a step forward. This is reflected in the fact that for the first time since the ASER survey began 20 years ago, learning levels at the foundational stage have improved across the country, a change mostly driven by government schools. This focus must be maintained in the years ahead to ensure that all children in India acquire these basic skills.

## जमीनी स्तर से प्रमुख निष्कर्षः

नीति के प्रति जागरूकता एवं प्रसार:





- लगभग 80% ग्रामीण स्कूलों ने FLN गतिविधियों को लागू करने के लिए सरकारी निर्देश प्राप्त किए हैं।
- 75% से अधिक स्कूलों में कम से कम एक शिक्षक ने FLN पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (In-person training) लिया है।
- इससे स्पष्ट होता है कि नीति संचार और प्रशासनिक सक्रियता मजबूत है।

#### शिक्षकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया:

- विभिन्न राज्यों के शिक्षकों ने FLN की महत्ता स्वीकार करते हुए नीति के नए फोकस का समर्थन किया है।
- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के व्यवहार और जागरूकता में परिवर्तन दिख रहा है, हालांकि पद्धतिगत बदलाव अभी सीमित है।
- सांस्कृतिक रूप से इस बदलाव को स्वीकृति मिल रही है, जो गहरे सुधारों की नींव है।

## व्यावहारिक कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- विविध कक्षा परिस्थितियाँ, जैसे अत्यधिक भीड़ वाले कक्ष, बहु-कक्षा (multi-grade) शिक्षण, तथा अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा समान रूप से FLN के क्रियान्वयन में बाधक हैं।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ता है।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों को समायोजित करने की जरूरत है।

#### प्रशिक्षण और सहयोग में कमी:

- विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के बाद सहयोग और निगरानी के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है, कई जगह केवल अनुपालन (compliance) पर ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षण पद्धित (pedagogy) पर नहीं।
- बहुत कम शिक्षकों को ही प्रत्यक्ष प्रदर्शन (demonstrations) या मार्गदर्शन (mentoring) मिलता है, जो व्यावहारिक शिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- प्रशिक्षण और शिक्षक विकास के बीच निरंतरता की कमी है।

#### शिक्षण-अधिगम सामग्री (TLM) का अप्रभावी प्रयोग:

- शिक्षण-अधिगम सामग्री (Teaching-Learning Materials TLM) मुख्यतः शिक्षक इस्तेमाल करते हैं, विद्यार्थी नहीं, जिससे हाथों-हाथ (hands-on) सीखने के अवसर सीमित होते हैं।
- सामग्री के रख-रखाव, टूट-फूट एवं उपयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी भी कक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए बाधा बन रही है।
- लॉजिस्टिक समस्याएँ शैक्षिक उद्देश्य (pedagogical intent) की पूर्ति में बाधा हैं।

#### पाठ्यक्रम बनाम कौशल (Syllabus vs Skill) की विरोधाभासी स्थिति:

- मुख्य व्यवस्था संबंधी चुनौती यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली कौशल विकास की बजाय पाठ्यक्रम पूरा करने को प्राथमिकता देती है।
- मूल्यांकन प्रणाली अभी भी विषयवस्तु आधारित है, FLN कौशलों की प्रगति से उसका बहुत कम संबंध है।





• पाठ्यक्रम की समाप्ति की बजाय बच्चों में वास्तविक दक्षता (competency) के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

#### नीति का प्रभाव और आगे का रास्ता:

#### अब तक की उपलब्धियाँ:

- ASER सर्वेक्षणों के पिछले दो दशकों में पहली बार मूलभूत शिक्षण स्तरों (foundational learning levels) में सुधार हुआ है।
- FLN को राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट प्राथिमकता एवं संस्थागत मान्यता मिली है।

#### आवश्यक सुधारः

- शिक्षकों को निरंतर सहयोग: एक बार के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, नियमित मेंटरिंग, सहकर्मी आधारित शिक्षा (peer learning), और व्यावहारिक प्रदर्शन (demonstrations) आवश्यक हैं।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण पद्धित: स्थानीय कक्षा स्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में लचीलापन हो।
- मूल्यांकन प्रणाली में सुधार: रटंत परीक्षा से हटकर निदानात्मक मूल्यांकन (diagnostic assessments) जो कक्षा-रणनीतियों को निर्देशित करे।
- शिक्षकों का सशक्तिकरण: संसाधनों के प्रयोग और समय-सारणी में शिक्षकों को स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव: अनुपालन की बजाय शिक्षण परिणामों (learning outcomes) पर जोर दिया जाए।

#### निष्कर्षः

NEP 2020 और निपुण भारत मिशन ने मजबूत नीतिगत ढाँचा और प्रारंभिक गित प्रदान की है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के रोज़मर्रा के अनुभवों से ही संभव होगा। नीति और ज़मीनी वास्तविकता के बीच की दूरी को पाटने के लिए लोगों पर केंद्रित, परिस्थितियों के अनुरूप एवं प्रभावी शिक्षण पद्धित अपनाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सिक्रयता के साथ-साथ गहरे व्यवस्थागत सहयोग की जरूरत है।

#### UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्नः प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy and Numeracy) के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)



#### Page 09: GS 2: Indian polity

- भारत वर्ष 2026 में संसदीय सीटों की संख्या पर लगी संवैधानिक रोक (constitutional freeze) के समाप्त होने के साथ एक बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा है। परिसीमन (Delimitation), जो ऐतिहासिक रूप से केवल जनसंख्या संख्या पर आधारित रहा है, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में गहरी चिंता उत्पन्न कर रहा है।
- यह चिंता दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की धीमी दर की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका से जुडी है।

## Thinking beyond population count

he discourse on delimitation and financial devolution has caused an uproar in Parliament and some State Assemblies and poses a threat to the federal character of or nation. The development divide in India has its own derivative on the demographic divide which needs recognition in the calculus of delimitation and financial devolution. The expiry of the constitutional freeze on the number of parliamentary seats is very near and has generated anxiety with regard to the political representation of peninsular States and those in the north

The history of the delimitation exercise in India during 1951-71 indicates that the number of Lok Sabha seats was increased in response to the population increase that resulted in the population representation per seat. This rose from 7.3 lakh population per Lok Sabha seat in 1951 to 10.1 lakh population per seat in 1971 when the total number of seats reached the current size of 543. The freeze in this number since 1971 extends till 2026. Considering the trend of increasing the number of seats with the rising population, the total number of seats in accordance with the projected population size in 2026 amounts to 753 and the population representation per seat will be around 20 lakh. With this ratio, the reduced share of population in peninsular States may well be represented by a fewer number of seats when compared with States such as Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and others, which are lagging behind on demographic progress

Political representation This anxiety about political representation is genuine and was first confronted by the 15th Finance Commission when the population weight in the devolution exercise was substituted by 2011 data in place of the 1971 data. The Commission



Chair at the International Institute of Migration and Development, Kerala



Honorary Visiting Professor at the International Institute of Migration and Development, Kerala

greater population count and poor demographic performances, and States with a lower population count and better demographic performances. The time has come to go beyond population size as the lone yardstick of allocation and determination of political representation. It is humorous to hear the argument that the southern States won't lose a single seats. There are multiple concerns that need attention in this delimitation exercise. The first is whether every seat should have an average representation of 20 lakh

suggested weightage to demographic performance along with population performance.

This revision increased the weight of the population component from

0.15 to 0.27 and serves as a


balancer across States with a

seat in the delimitation exercise while the northern States will gain population and therefore an upper limit in the representational strength needs to be adopted that would ensure expansion of the size of the Lok Sabha with the rising population size of our nation. However, the contention lies in its regional distribution without distorting representation to an unacceptable level. A middle path to be consiudered could be population density instead of absolute population numbers. This is already the prevailing convention of seats in the north-east which is already represented by a lower population size when compared to the urban centres of the country. Such an alternative would perhaps work out better given the fact that a lower population size may well be associated with a relatively greater density and a greater population size with a smaller density. Further, even maintaining the status quo may require a proportionate rise in allocation of seats once the overall target is decided with an aggregate norm of population representation per


The demographic wisdom therefore is to think beyond

population count as a singular ardstick of allocation or devolution. In the devolution exercise carried out by the 15th Finance Commission, these aspects were debated and a led to the introduction of demographic performance in the population component. Another sincere caution as regard to the population-based reading of any outcome needs a consideration of its characteristics and composition. The proposed exercise of delimitation and allocation would not escape this feature given the complexity of gender- and caste-based reservation of the said allocation In each and every sphere, the population-based standardisation has been on its gross count leading to a per capita measure which is often quite misleading. This is getting adopted on a wider scale in the current SDG environment of generating indicators indiscriminately. We name it as per-capita hangover that does not enable scientific comparison (temporal or cross-sectional) of the state of affairs. The characteristic and composition of population remains paramount in the assessment of needs and entitlements on the one hand and rights and privileges on the other. Hence, a raw population count being in the denominator without accommodating characteristic differences assumes equal for

recognition of all potential characteristics and attributes to weigh them and differentiate while making any comparative construct involving population count. Population is beyond a mere head count on issues of representation and allocation which is largely overlooked in common practice Therefore, a demographic outlook remains the key to resolving the prevailing debates and controversies.







- संघीय तनाव (Federal Tensions):
  - राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर झुकने से, संघीय संतुलन में बदलाव आ सकता है।









- इससे दक्षिणी राज्यों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय उपलब्धियों के बावजूद राजनीतिक रूप से हाशिये पर महसूस करने का खतरा है।
- ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context):
  - 1951 से 1971 के बीच, लोकसभा सीटों की संख्या जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती रही। 1971 के बाद से, सीटों की संख्या 543 पर स्थिर है।
  - यदि वर्तमान अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 2026 में परिसीमन किया गया, तो संसद की सीटें बढ़कर लगभग 753 हो सकती हैं, जिससे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन रूप से बढ़ जाएगा।

## जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ:

- जनसांख्यिकीय विभाजन (Demographic Divide):
  - उत्तरी राज्यों में जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्थिति कमजोर (उच्च प्रजनन दर, कम साक्षरता) है।
  - इसके विपरीत, दक्षिणी राज्यों ने बेहतर विकासात्मक परिणाम हासिल किए हैं, जिससे उनकी जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है।
- संख्या बनाम गुणवत्ता का विवाद (Quality vs Quantity Debate):
  - केवल जनसंख्या संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित करना जनसंख्या घनत्व, साक्षरता स्तर, लैंगिक संतुलन, जातिगत संरचना और सामाजिक-आर्थिक प्रगति जैसे गुणात्मक कारकों को नजरअंदाज करता है।
- "प्रति व्यक्ति का भार" (Per Capita Hangover):
  - प्रित व्यक्ति आधार पर वित्तीय आवंटन या राजनीतिक प्रितिनिधित्व अत्यधिक निर्भरता, जनसंख्या की विभिन्नताओं और जिल्लताओं की उपेक्षा करती है, जो कि असमानता को समानता के रूप में प्रस्तुत करती है।

#### संभावित समाधान एवं विकल्पः

- जनसंख्या घनत्व आधारित प्रतिनिधित्व (Density-Based Representation):
- मात्र कुल जनसंख्या की बजाय जनसंख्या घनत्व (प्रित वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या) को परिसीमन का आधार बनाया जा सकता है, जैसा उत्तर-पूर्वी राज्यों में किया गया है।
- जनसांख्यिकीय प्रदर्शन सूचकांक (Demographic Performance Index):
  - जनसांख्यिकीय प्रदर्शन सूचकांक को अपनाया जा सकता है (15वें वित्त आयोग की तरह), जो कम प्रजनन दर, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य परिणाम वाले राज्यों को पुरस्कृत कर सकता है।
- प्रतिनिधित्व में गुणात्मक कारक (Qualitative Factors):
  - परिसीमन अभ्यास में लैंगिक संतुलन, जाति आधारित प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को शामिल करना, केवल संख्या आधारित प्रतिनिधित्व से आगे जाकर समावेशी और न्यायसंगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

#### आगे का रास्ता

 सिर्फ संख्यात्मक प्रतिनिधित्व पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने से विकास के प्रयासों की उपेक्षा होगी और इससे संघीय व्यवस्था कमजोर होगी। परिसीमन और वित्तीय आवंटन में गुणात्मक जनसांख्यिकीय कारकों का समावेश करना आवश्यक है, जिससे राजनीतिक न्याय और विकासात्मक समानता दोनों सुनिश्चित हों।





भारत अपने लोकतांत्रिक एवं संघीय ढाँचे का सतत प्रबंधन तभी कर सकेगा जब जनसंख्या की जटिलताओं एवं विभिन्नताओं को पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न Ques : "केवल जनसंख्या ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण नहीं करनी चाहिए।" भारत में आगामी परिसीमन के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए।





#### **Page 10: GS 2: International Relations**

आर्कटिक क्षेत्र, जो ऐतिहासिक रूप से सुदूर और एकांत रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ के पिघलने के चलते तेज़ी से एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक केंद्र बन रहा है। इस पर्यावरणीय बदलाव से प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार खुल रहे हैं और नए समुद्री मार्ग बन रहे हैं, जिससे वैश्विक रणनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण रूप से बदल रहे हैं।





## आर्कटिक क्षेत्र का बढ़ता वैश्विक महत्त्व:

## प्राकृतिक संसाधन:

- अनुमान है कि विश्व के लगभग 13% अनदेखे तेल भंडार और लगभग 30% प्राकृतिक गैस के अनछुए भंडार आर्कटिक में हैं।
- अधिनिक प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिज (Rare Earth Minerals), विशेषकर ग्रीनलैंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो वैश्विक हितों को आकर्षित कर रहे हैं।





#### नए समुद्री व्यापार मार्ग:

- पिघलती बर्फ से उत्तरी-पूर्वी मार्ग (Northeast Passage या Northern Sea Route) जैसे छोटे व्यापारिक मार्ग खुल रहे हैं, जो यूरोप और एशिया के बीच यात्रा का समय और लागत घटा सकते हैं।
- ये मार्ग आर्थिक अवसर और रणनीतिक चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करते हैं।

#### आर्कटिक की शासन व्यवस्था: "आर्कटिक परिषद" (Arctic Council):

- आठ देशों—कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड के माध्यम से), फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका—द्वारा
  गठित "आर्कटिक परिषद" इस क्षेत्र में सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों
  की रक्षा के लिए कार्यरत है।
- अंटार्कटिक के विपरीत (जहाँ अंतरराष्ट्रीय संधि से सैन्यीकरण प्रतिबंधित है), आर्कटिक में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) प्रभावी है, जिससे देश अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से परे भी क्षेत्रीय दावे कर सकते हैं।

#### तनाव बढ़ने के प्रमुख कारण:

#### क्षेत्रीय और समुद्री विवाद:

- कनाडा, डेनमार्क और रूस के बीच संसाधन-संपन्न महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों पर अतिव्यापी (overlapping) दावे मौजूद हैं।
- उत्तर-पश्चिमी मार्ग (Northwest Passage) पर विवाद: कनाडा इसे अपने आंतरिक जल क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबिक अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र मानता है, जिसमें मुक्त नौवहन का अधिकार है।

#### सैन्य और रणनीतिक गतिविधियाँ:

- आर्कटिक देशों, विशेषकर रूस और NATO देशों द्वारा बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ। रूस ने कई सैन्य अड्डे स्थापित किए हैं और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है।
- स्वीडन और फ़िनलैंड के NATO में शामिल होने से NATO ने रूस की सीमाओं के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे रणनीतिक तनाव बढ गया है।

#### आर्थिक और व्यापारिक हित:

- चीन ने स्वयं को "निकट-आर्कटिक राज्य" घोषित किया है, और "पोलर सिल्क रोड" (Polar Silk Road) के माध्यम से आर्कटिक के व्यापारिक मार्गों का रणनीतिक उपयोग करना चाहता है।
- ग्रीनलैंड को खरीदने में अमेरिका के पूर्व प्रयासों ने दिखाया कि आर्थिक एवं सुरक्षा हितों का अंतर-संबंध क्षेत्रीय चिंताओं को बढ़ा रहा है।

#### रूस की भूमिका:





- रूस, आर्कटिक का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो 2007 में उत्तरी ध्रुव के समुद्र तल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर अपनी सक्रियता प्रदर्शित कर चुका है।
- रूस के पास शक्तिशाली आइसब्रेकर (बर्फ तोड़ने वाले जहाजों) का बेड़ा है, जिनमें परमाणु ऊर्जा संचालित जहाज भी शामिल हैं। यह रूस को आर्कटिक जलमार्गों में रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।
- यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव आर्कटिक क्षेत्र की राजनीति में भी फैल गया है, जिससे परिषद के भीतर सहयोग मुश्किल हो गया है।

#### संभावित जोखिम और प्रभाव:

- बढ़ते सैन्यकरण और अस्पष्ट क्षेत्रीय दावों के कारण आर्कटिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जगह संघर्ष क्षेत्र बन सकता है।
- पर्यावरण का तेजी से क्षरण वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए संकट उत्पंत्र कर सकता है।
- बढ़ते तनावों से आर्कटिक क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका और संस्कृति संकट में आ सकती है।

#### आगे की राह (संभावित उपाय और समाधान):

- आर्कटिक शासन को मज़बूत करनाः अंटार्कटिका की तरह एक सैन्यकरण-विरोधी अंतरराष्ट्रीय संधि की स्थापना करना।
- विश्वास-निर्माण के उपाय (Confidence-Building Measures CBMs): सैन्य पारदर्शिता एवं नियमित वार्ताओं के माध्यम से गलतफहमियों को कम करना।
- सतत संसाधन प्रबंधन: पर्यावरण के कड़े मानकों के साथ संसाधनों के सहकारी और संयोजित दोहन को प्राथमिकता देना।

## निष्कर्षः

पूर्व में एकांत रहा आर्कटिक क्षेत्र आज वैश्विक सहयोग और संघर्ष के दोराहे पर खड़ा है। भू-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हितों के संगम के बीच, आर्कटिक को शांतिपूर्ण, सतत और समावेशी वैश्विक शासन की आवश्यकता है। मानवता की आने वाली स्थिरता इस बात पर निर्भर होगी कि आर्कटिक की पिघलती बर्फों के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय कितनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ आगे बढ़ता है।

#### UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक बर्फ का पिंघलना नए रणनीतिक मोर्चे खोल रहा है।" इस परिवर्तन के भू-राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए, यह स्पष्ट करते हुए कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द)



#### Places In News: ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य

कर्नाटक सरकार के ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफ़र ज़ोन में आदिवासी गाँव बसाने के निर्णय से पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकारों और मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी बहस शुरू हुई है।



#### ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानकारी:

- स्थिति: यह अभयारण्य कर्नाटक के कोडगु जिले में पश्चिमी घाट (Western Ghats) के भीतर स्थित है।
- पारिस्थितिकी महत्त्व: यह क्षेत्र नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान (Nagarhole National Park) और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary) के बीच वन्यजीवों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारा (ecological corridor) है।

#### भौगोलिक स्थिति एवं विशेषताएँ:

- यह अभयारण्य बेंगलुरु से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका नाम क्षेत्र के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर "ब्रह्मगिरी" से लिया गया है।
- इस क्षेत्र को 5 जून, 1974 को अपनी अद्वितीय वनस्पति और जीव-जंतुओं के संरक्षण हेतु एक संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) घोषित किया गया था।



• यहाँ की भूमि सदाबहार एवं अर्द्ध-सदाबहार वन, घास के मैदान तथा शोला वन (Shola Forests) जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों से मिलकर बनी है, जो विभिन्न प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं।

#### वनस्पतियाँ (Flora):

- क्षेत्र में बाँस की प्रजातियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, जो हाथी और हिरण जैसे शाकाहारी जीवों के भोजन का मुख्य स्रोत हैं।
- विविध वनस्पतियाँ अनेक वन्यजीव प्रजातियों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं।

## जीव-जंतु (Fauna):

- मांसाहारी जीव (Carnivores): बाघ (Tiger), जंगली बिल्ली (Jungle Cat), तेंदुआ बिल्ली (Leopard Cat), जंगली कुत्ते (Wild Dogs या Dhole), भालू (Sloth Bear)
- **शाकाहारी जीव (Herbivores):** भारतीय हाथी (Indian Elephant), गौर (Gaur), सांभर (Sambar), चीतल (Spotted Deer), बार्किंग हिरण (Barking Deer), माउस हिरण (Mouse Deer), जंगली सूअर (Wild Pig)
- वानर एवं अन्य प्राइमेट्स (Primates): लायन-टेल्ड मकाक (Lion-tailed Macaque), नीलिगिरि लंगूर (Nilgiri Langur), स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), बोनट मकाक (Bonnet Macaque), सामान्य लंगूर (Common Langur)
- छोटे स्तनधारी एवं कृन्तक (Small Mammals & Rodents): मालाबार विशाल गिलहरी (Malabar Giant Squirrel), विशाल उड़न गिलहरी (Giant Flying Squirrel), नीलगिरि मार्टेन (Nilgiri Marten), सामान्य ऊदबिलाव (Common Otter), भूरे नेवले (Brown Mongoose), सिवेट (Civet), साही (Porcupine), पैंगोलिन (Pangolin)
- **सरीसृप (Reptiles):** किंग कोबरा (King Cobra), भारतीय कोबरा (Indian Cobra), अजगर (Python), मालाबार पिट वाइपर (Malabar Pit Viper)
- पक्षी (Birds): एमराल्ड डर्व (Emerald Dove), स्कायर-टेल्ड बुलबुल (Square-tailed Bulbul), मालाबार ट्रोगन (Malabar Trogon)



## Page : 08 Editorial Analysis An IJS is an idea whose time has come

ver the past few days, social media has been awash with several memes. Of these, there is one that appears to be the best – "For the first time, a fire brigade has ignited more fire than what it extinguished." The fact is the fire is still raging.

#### Disturbing incidents

There are no marks for guessing what the incident being referred to is - the recent and shocking discovery by the Delhi fire brigade of half-burnt currency notes while putting out a fire that broke out in the official residence of a Delhi High Court Judge. One hopes that the internal inquiry that has been ordered by the Chief Justice of India will be completed early and its findings made public. The judge in the eye of the storm has been repatriated to his parent High Court. Any other public servant would have faced a first information report followed by an investigation. Many may recall the case of a former CJI who included himself as a member of the inquiry committee that had been constituted to probe a complaint of sexual harassment that had been lodged by a court staff against the CJI. This led to such public outrage that the CJI had to opt out.

Whatever be the resulting convulsions and discomfort in the judicial system, this disturbing episode has drawn attention to an issue which everybody knew but maintained a discreet silence about for various reasons.

That this incident has happened just after two recent developments has not helped matters. In the first instance, the Supreme Court of India took objection to an order passed by the Lokpal taking cognisance of a complaint of corruption against a High Court Judge and referred it to the CJI. The Court has taken *suo motu* notice of this 'disturbing' order, as in its view, the Lokpal has no jurisdiction to act upon complaints against judges. The matter is before the Court.

Irrespective of the final verdict, it has once again sharpened the focus on judicial accountability, raising questions about the



Archana Ramasundaram

is a retired Indian Police Service (IPS) officer and a former Member of the Lokpal of India

An exclusive all-India selection process will address the need to open the doors of the judiciary to meritorious candidates effectiveness and the transparency of its internal inquiry mechanism.

The second instance happens to be a repulsive order passed by a High Court Judge wherein the Lordship was of the view that grabbing body parts of a minor girl and 'breaking the strings of her pyjama' were not enough to charge an accused with the offence of rape or attempt to rape. Mercifully, this obnoxious order has been stayed by the Supreme Court, due to its "total lack of sensitivity".

What is the common factor in these three cases that involve High Court Judges? The answer is that all the judges have passed through the existing system of selection by the Collegium of Judges. This is a selection process that has drawn criticism on and off for many years, because of its opaque nature and the stranglehold of a few families over this system. Judicial dynasties sometimes result in the selection of incompetent and mediocre persons.

#### Have an Indian Judicial Service

All this has also led to the revival of the debate on the National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act. This Act was passed by Parliament with the ratification of 16 State Assemblies and had the assent of the President of India in December 2014. But the Supreme Court chose to strike it down, although many were of the view that the Court could have gone in for a judicial review only to decide whether the legislation passed by the Parliament was in conformity with constitutional provisions.

While this debate may go on, a much simpler and immediate solution could be to have an exclusive all India service for senior positions in the judiciary on the pattern of the Union Public Service Commission's highly competitive, transparent and merit-based selection process for the civil services such as the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service, the Indian Police Service and Indian Revenue Service

Constituting an 'Indian Judicial Service' has been discussed in the past. This may be the right time to discuss its pros and cons and implement a transparent and merit-based system for the selection of judges. When State-level Judicial Service Officers are selected through a competitive examination, why not have the same process at the national level?

#### Will ensure course correction

There are several advantages in having an Indian Judicial Service. First, it would result in the higher judiciary becoming more inclusive and representative in character. At present, the higher judiciary is an elite club dominated by a few families. Women and the marginalised sections of society are very poorly represented. There is an urgent need to open the doors of the judiciary to meritorious candidates from all parts of India and all walks of life to compete for senior judicial positions.

Second, recruitment may be entrusted to the UPSC by the Supreme Court, stipulating the criteria and the method of selection for the senior judicial positions, in consultation with High Courts and legal luminaries. This process would also insulate the judiciary from any interference of the executive.

Third, a transparent selection process, with details in the public domain, is obviously much better than the closed-door meetings of the Collegium. Post-selection, a comprehensive training programme would ensure that those selected are well versed in the multiple branches of law. The Supreme Court may also evolve a system of oversight to ensure integrity and to initiate disciplinary action against those who lack integrity.

In this writer's view, this will greatly help in restoring the faith of the people as well as the image of the higher judiciary in the largest parliamentary democracy of the world.

The views expressed are personal

#### **Context:**

हाल के दिनों में, उच्च न्यायपालिका से जुड़े विवादों और पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी के कारण न्यायिक नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली पर पुनः बहस शुरू हुई है। कोलेजियम व्यवस्था (Collegium System), जो अपनी अपारदर्शिता और कथित





वंशवाद के कारण लगातार आलोचना का विषय रही है, की जगह एक **भारतीय न्यायिक सेवा (Indian Judicial Service -** IJS) स्थापित करने की मांग पुनः उठी है।

#### न्यायिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

उच्च न्यायपालिका के चयन की वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था बंद दरवाज़ों के पीछे होती है, जिससे जनता की निगरानी संभव नहीं होती। हाल के कुछ विवादित घटनाओं ने इस व्यवस्था की कमज़ोरियों को उजागर किया है, जैसे:

- एक उच्च न्यायालय के जज के आधिकारिक निवास में वित्तीय अनियमितताओं का मामला।
- असंवेदनशील और विवादास्पद न्यायिक आदेशों की बढती घटनाएँ।
- स्पष्ट जवाबदेही तंत्र की कमी, जिससे न्यायपालिका की साख पर संवाल उठते हैं।

#### भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) स्थापित करने के पक्ष में तर्क:

- 1. पारदर्शिता एवं योग्यता-आधारित चयन:
  - UPSC की तरह प्रतियोगी परीक्षा से पारदर्शी और योग्यता-आधारित नियुक्ति संभव होगी।
  - सार्वजनिक चयन प्रक्रिया भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात की संभावना को कम करेगी, जिससे न्यायपालिका की गुणवत्ता और जनता के विश्वास में वृद्धि होगी।
- 2. समावेशन और प्रतिनिधित्व में वृद्धिः
  - उच्च न्यायपालिका में महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग और समाज के अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी वर्तमान में बेहद सीमित है।
  - ॥ऽ के माध्यम से सभी वर्गों से योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा, जिससे न्यायपालिका अधिक समावेशी बनेगी।
- 3. व्यवसायिकता और व्यापक प्रशिक्षण:
  - प्रितयोगी परीक्षा के जिए चुने गए उम्मीदवारों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी पेशेवर योग्यता बढ़ाई जा सकती है।
  - इससे न्यायपालिका में विभिन्न कानूनों की बेहतर समझ विकसित होगी।
- 4. कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा:
  - UPSC के माध्यम से स्वतंत्र भर्ती न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रभाव से मुक्त करेगी।
  - सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चयन प्रक्रिया न्यायिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करेगी।

## US स्थापित करने की चुनौतियाँ एवं समस्याएँ:

1. न्यायपालिका का विरोध:





॥ऽ को न्यायिक स्वतंत्रता पर संभावित खतरे के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संस्थागत तनाव उत्पन्न हो सकता है।

#### 2. संघीय संरचना की चिंताएँ:

- न्यायपालिका समवर्ती सूची (Concurrent List) का हिस्सा है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय मुश्किल होगा।
- राज्यों को लग सकता है कि यह कदम नियुक्ति प्रक्रिया का केंद्रीयकरण कर रहा है।

#### 3. व्यावहारिक कार्यान्वयन के मुद्दे:

- मौजूदा न्यायिक सेवा के अधिकारियों और प्रस्तावित IJS के बीच एकीकरण कठिन हो सकता है।
- विश्विता, पदोन्नित और अन्य प्रशासिनक मुद्दों पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

#### आगे का रास्ता (सुझाव एवं समाधान):

#### 1. व्यापक विमर्श और सहमति निर्माण:

 राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय तथा बार संघों के साथ विचार-विमर्श कर व्यापक सहमित बनाएं।

#### 2. चरणबद्ध कार्यान्वयन:

 शुरुआत में जिला न्यायाधीश स्तर पर लागू करें, बाद में उच्च स्तर तक विस्तार करें, तािक प्रक्रिया सुचारु रूप से अपनाई जा सके।

#### 3. व्यापक प्रशिक्षण और सतत शिक्षा:

• न्यायिक अकादिमयाँ बनाकर प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी और सतत बनाएँ।

#### 4. विधायी एवं संवैधानिक स्पष्टता:

॥ऽ से संबंधित संवैधानिक संशोधन एवं कानून बनाकर चयन प्रक्रिया को स्पष्ट और मजबूत करें।

#### निष्कर्षः

भारतीय न्यायिक सेवा (IJS) का विचार समय की आवश्यकता बन चुका है। इसकी स्थापना से न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता, योग्यता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यद्यपि प्रारंभ में कुछ चुनौतियाँ सामने आएंगी, लेकिन एक व्यापक सहमित तथा सकारात्मक संवाद द्वारा इनका समाधान संभव है। अंततः IJS न्यायपालिका में जनता के विश्वास, संस्थागत अखंडता और भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।